

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 1979/पौष 25, 1900
No. 28] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 1979/PAUSA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

प्रावेश

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० प्रा० 30(अ) सं० ई (सी) प्रो 1977/ए एम (89):—आयात-निर्यात (नियंत्रण)
संक्षिप्त, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार एनद्वारा निर्यात (नियंत्रण) प्रादेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित प्रादेश की रचना करती है, अर्थात्:—

1. इस प्रादेश को निर्यात (नियंत्रण) छद्म संशोधन प्रादेश 1979 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (निर्यात) आदेश, 1977 में खुले सामान्य लाइसेंस 3 में क्रम सं० 69 के मामले कालम 4 में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:—

“सभी अनुमेय स्थानों के लिए निर्यात अनुमेय है।”

[मिसिस नं० 28/1/78-ई]

का० वें० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 15th January, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 30(E) No. E(C)O, 1977/AM(89).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Sixth Amendment Order, 1979.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL. 3, the existing entry in Col. 4 against S. No. 69, shall be substituted as under :—

“Export allowed to all permissible destinations.”

[F. No. 28/1/78-EI]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports